22/12/2022 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अभ्यर्थीगण की तलबी में सितंबर 2021 में लंबित है। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अभ्यर्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवायी जा सकी है। अतः पत्रावली तलबी अभाव में अंतर्गत O-9, R-5 जा०दी० के तहत एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर झील (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.03.02 14:04:21 IST
Reason: SelfAttested